

वित्त मंत्रालय

## वर्तमान संयुक्त अप्रत्यक्ष कर दरों के मुकाबले कम हैं जीएसटी दरें

Posted On: 15 JUN 2017 7:34PM by PIB Delhi

देश में नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी होने जा रही है, जिसके तहत जीएसटी परिषद की मंजूरी के बाद आपूर्ति पर जीएसटी दरों के निर्धारण की संयुक्त जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकारों पर होगी।

ज्यादातर वसतुओं पर जीएसटी परिषद द्वारा स्वीकृत टैक्स दरें केंद्र एवं राज्यों की वर्तमान संयुक्त अप्रत्यक्ष कर दरों (केंद्रीय उत्पाद शुल्क दरों/सन्निहित केंद्रीय उत्पाद शुल्क दरों/क्लीयरेन्स उपरांत सन्निहित सेवा कर, वैट दरों अथवा भारांक औसत वैट दरों, उत्पाद शुल्क पर वैट की वसूली, सीएसटी, चुंगी, प्रवेश कर इत्यादि की वजह से कर देनदारी) की तुलना में काफी कम हैं।

जिन वसतुओं पर वर्तमान संयुक्त अप्रत्यक्ष कर दरों की तुलना में जीएसटी दरें कम हैं उनकी सूची अंग्रेजी में देखने के लिए यहां क्लिक करें

\*\*\*

वीके/आरआरएस/एनएम-1748

(Release ID: 1492954) Visitor Counter: 5









in